समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-48/आ0प्र0, दिनांक-12.09.2016 के द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष-0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विपत्र कोड-N2245020010101 मद में कुल मो0-72,88,300/- (बहत्तर लाख अठासी हजार तीन सौ) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क्रम सं0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	72,88,300=00	72,88,300=00	1. नाव क्रय के लिए 1,90,000/- 2. टेन्ट क्रय के लिए 70,98,300/-
	कुल-	72,88,300=00	72,88,300=00	

(मो0-बहत्तर लाख अठासी हजार तीन सौ रूपये)

उपावंटन की शर्ते :-

(1) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष-0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विपत्र कोड-N2245020010101 राज्य योजना स्कीम कोर्ड-DIS-5561 मांग संख्या-39 युनिट कोड 21 01 सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(2) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

(3) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(4) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

(5) पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो सके, तो 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(6) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक :....878...../ आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक :...07.../...10.../2016

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

7/10/16
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।